राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंरठीं, डाकघर बंरठीं, तहसील घुमारवीं, ज़िला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश–171029 के लेखाओं का अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदनः अवधि 4/2010 से 3/2013

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

संस्था के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई का सत्यापन करने के पश्चात अंकेक्षण पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई। अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाऐ तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाऐः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

पैरा 3	निर्णीत
पैरा 4	निर्णीत
पैरा 5	निर्णीत
पैरा 6	निर्णीत

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरठीं के छात्र निधि लेखों अवधि 4/2010 से 3/2013 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री चम्बेल सिह परमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 31.10.2013 से 11.11.2013 तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर में किया गया तथा अंकेक्षण की विस्तृत जाँच हेतु निम्न लिखित मासों का चयन किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2010–11	7/2010	10/2010
2011–12	7/2011	8/2011
2012–13	7/2012	8/2012

अनुवर्ती पैरों में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अपेक्षित अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया।

यह अंकेक्षण एंव् निरीक्षण प्रतिवेदन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरठीं के प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं एंव अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी गलत सूचना एंव सूचना प्रदान न करने व अपूर्ण सूचना अथवा अभिलेख के प्रस्तुत करने की अवस्था में इस अंकेक्षण एंव् निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 का कोई उतरदायित्व नही है। विभाग का उतरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

अंकेक्षण अवधि में श्री कुलदीप कुमार चडडा, प्रधानाचार्य आहरण एंव संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरठीं, ज़िला बिलासपुर हि0प्र0 निधि लेखों अवधि 4/2010 से 3/2013 तक की लेखा परीक्षा हेतु अंकेक्षण शुल्क का आँकलन ₹4200 किया गया जिसे अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 189 दिनाँक 5—11—2013 द्वारा रेखाकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—9 को भेजने हेतु प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरठीं, के छात्र निधि लेखों की अवधि 4/2010 से 3/2013 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण परिशिष्ट “क” पर दिया गया हैं।

5 निवेशः—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरठीं द्वारा छात्र निधि लेखाओं से 31—3—2013 को निम्न राशियाँ सावधि जमा लेखों में निवेशित थीः—

क0 सं0	निधि का नाम	सावधि जमा खाता सख्ँया	निवेश की तिथि	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	परिपक्ता तिथि	परिपक्ता राशि
1	परीक्षा निधि	10630302923	3.11.12	1वर्ष	9%	36975.00	3.11.13	43368.00
2	विकास निधि	10630302921	3.11.12	1वर्ष	9%	99187.00	3.11.13	108420.00
3	स्वास्थय निधि	10630302922	3.11.12	1वर्ष	9%	39675.00	3.11.13	43368.00
4	कम्पयूटर निधि	10630302924	3.11.12	1वर्ष	9%	39675.00	3.11.13	43368.00

सावधि जमा लेखों में निवेशित उपरोक्त राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को भुनाया जाना। अथवा पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इन निवेशों पर प्राप्त ब्याज की पुष्टि आगामी अंकेक्षण से करवाई जाए।

6 **₹2450.00 की राशि कम जमा करनाः–**

लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि रसीदों के माध्यम से विद्यार्थियों से प्राप्त राशियों की जमा प्रविष्टियाँ निधि सग्रहण रजिस्टर में करते समय प्राप्त राशि से कम राशि की प्रविष्टियाँ की गई जिसके फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹2450.00 की राशि कम जमा की गई। इस प्रकार इस राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। अतः उपरोक्त ₹2450.00 की राशि की चूककर्ता से वसूली करके सम्बन्धित निधियों में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में ऐसे प्रकरणों पर अंकुश सुनिश्चित किया जाएः–

क0सं0	रसीद सख्ँया	दिनाँक	प्राप्त राशि ₹	निधि सग्रह रजिस्टर में जमा राशि ₹	कम जमा ₹	टिप्पणी
1	714	16.8.12	6530.00	4130.00	2400.00	विक्रम सिह स्पुत्र श्री बलदेव सिह से शिक्षा शुल्क के प्राप्त ₹2400 की प्रविष्टि निधि सग्रहण रजिस्टर में नही की गई
2	1992	13.7.11	6370.00	6320.00	50.00	दिलु मोहम्मद स्पुत्र श्री मुश्ताक मोहम्मद से रजिस्ट्रेशन शुल्क की प्राप्त राशि ₹50 की प्रविष्टि निधि सग्रहण रजिस्टर में नही की गई
				कुल राशि	2450.00	

7 <u>प्राप्त राशियों को देरी से सरकारी कोष में जमा करनाः—</u>

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि प्रवेश शुल्क व शिक्षा शुल्क की प्राप्त राशियों को प्राप्ति के तुरन्त वाद सरकारी कोष में जमा करने की बजाए इन राशियों को काफी समय तक हस्तगत रखने के पश्चात सरकारी कोष में जमा किया गया। सरकारी प्राप्तियों को समय पर सरकारी कोष में जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में प्राप्त ऐसी राशियों को सरकारी कोष में समय पर जमा किया जाना भी सुनिश्चित करने के अतिरिक्त इन राशियों के किये गये दुर्विनियोजन बारे सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्व नियमानुसार उचित कार्यवाही सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। प्रवेश शुल्क व शिक्षा शुल्क इत्यादि की प्राप्त राशियो को समय पर सरकारी कोष में जमा न करने का विवरण नियमानुसार हैः—

क0 सं0	प्राप्ति की तिथि	प्राप्त राशि ₹	जमा का विवरण
1	12.7.2012	2600.00	चालान न0 43990 दिनाँक
	17.7.2012	2600.00	5—12—2012 ₹10800.00
	31.8.2012	5600.00	
	योग=	**₹10800.00**	
2	31.8.2012	12200.00	चालान न0 10476071 दिनाँक
	13.7.11	2600.00	17.12.11 ₹17400.00
	9.8.11	2600.00	
	9.8.11	100.00	
	योग =	17400.00	

8 <u>₹600 की वसूली न करनाः—</u>

अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न छात्रों से निधि व शुल्क के ₹600.00 कम प्राप्त नही किये गये। अतः कम प्राप्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके राशियों को सम्बन्धित निधियों व सरकारी कोष में जमा करवाया जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाएः—

क0सं0	रसीद सख्ँया	दिनाँक	प्राप्त राशि ₹	निधि जिसकी राशि प्राप्त नही की गई	राशि ₹
1	1921	10.11.10	3110.00	स्वास्थ निधि	200.00
				परीक्षा निधि	200.00
2	717	16.8.12	3930.00	प्रवेश शुल्क	200.000
				कुल राशि =	₹600.00

9 विद्यार्थियों का बीमा न करवानाः–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरठीं के विद्यार्थियों से वर्ष 2010–11 व 2011–12 के दौरान बीमा निधि प्राप्त करने के बाबजूद विद्यार्थियों का बीमा नही करवाया गया। बीमा निधि प्राप्त करके विद्यार्थियों का बीमा न करवाना अनियमित ही नही अपितु आपत्तीजनक भी है क्योंकि एक तो निधि प्राप्त करने का उद्वेश्य ही निष्फल हो गया दूसरे यदि किसी विद्यार्थी की कोई दुर्धटना हो जाती तो उसे बीमा राशि का लाभ भी नही मिल पाता। वर्ष 2010–11 व 2011–12 के दौरान विद्यार्थियों से बीमा निधि प्राप्त करके बीमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार विद्यार्थियों का नियमित रूप से प्रतिवर्ष बीमा किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

10 ₹3700 का अधिक भुगतानः–

वर्ष 2012–13 के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरठीं के विद्यार्थियों का बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम नज़दीक औकलैण्ड होटल, शिमला से करवाया गया जिसके लिए ₹100 प्रति विद्यार्थी की दर से 100 विद्यार्थियों के लिए दिनाँक 10.10.2012 को ₹10000 का भुगतान किया गया। वर्ष 2012–13 के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरठीं में विभिन्न व्यवसायों के कुल 63 विद्यार्थी थे जिनके बीमें की राशि ₹100 प्रति विद्यार्थी की दर से ₹6300 का भुगतान किया जाना अपेंक्षित था। विद्याथियों से बीमा निधि भी ₹100 प्रति विद्यार्थी की दर से वर्ष 2012–13 के दौरान ₹6300 ही प्राप्त किया गया था वर्ष 2012–13 के लिए विद्यार्थियों का बीमा करवाने के लिए ₹6300 की प्राप्त राशि के विरूद्व ₹10000 का भुगतान करने के कारण ₹3700 का अधिक व्यय किया गया था जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अधिक व्यय की गई राशि ₹3700 की उचित स्त्रोत/दोषी कर्मचारी से वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 **संस्थान के विजली व दूरभाष के बिलों की भुगतान की गई राशि 22253.00 की प्रतिपूर्ति न करनाः–**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरठीं के कार्यालय बिजली व दूरभाष के बिलों का भुगतान विद्यार्थियों के बिजली एंव पानी निधि से किया गया था। कार्यालय के बिजली व पानी के बिलो के भुगतान हेतु राशि की निकासी करते समय प्रधानाचार्य द्वारा स्पष्ट रूप से नोट दिया था कि सरकार से बजट प्राप्त होने पर इस राशि को सम्बन्धित निधि में जमा कर दिया जायेगा लेकिन लेखा परीक्षा होने तक यह राशियां वापिस निधि मे जमा नही की गई थी। निम्न विवरणानुसार ₹22253 का भुगतान कार्यालय के बिजली व दूरभाष बिलो की राशि का भुगतान करने के लिए विद्यार्थी पानी व विजली निधि से निकासी की गई थी जिसे शीघ्र निधि में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जायेः–

क0स0	भुगतान की तिथी	राशि	व्यय का विवरण
1	8.6.2011	₹17560.00	बिजली बिल न0 087965 दिनाँक 25–4–11 का विद्युत परिषद को भुगतान किया गया था।
2	27.11.2012	₹3541.00	विद्युत बिल न0 0781250 दिनाँक 24–11–12 का विद्युत परिषद को भुगतान किया गया था।
3	27.11.2012	₹1152.00	दूरभाष सख्ँयाः 267229 के अवधि 1–10–2012 सें 31–10– 2012 के बिल का भुगतान।
	कुल राशि =	₹22253.00	

12 **बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किये ₹36365 की खेल कूद सामग्री का क्रय करनाः–**

लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच करनें पर पाया गया कि विकास निधि से मै0 राजेंन्द्रा ट्रेडर्ज़, नजदीक बस स्टैण्ड, घुमारवी को निम्न विवरणानुसार माह दिसम्बर 2012 में ₹36365 का भुगतान किया गया। लेकिन सामग्री क्रय करने हेतु न तो कुटेशन आमन्त्रित की गई थी और न ही नही दर संविदा के आधार पर सामग्री क्रय की गई थी। सामग्री क्रय करने हेतु औपचारिक्ताऐ पूर्ण करने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा

परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नही किया गया। औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना सामग्री क्रय करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अनियमित रूप से क्रय की गई सामग्री के क्रय का सक्षम अधिकारी की सवीकृति प्राप्त करके नियमितीकरण करवाने के अतिरिक्त भविष्य में समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

क्र0स0	बिल सख्ँया	दिनाँक	सामग्री का विवरण	मात्रा	दर प्रति	राशि ₹
1	1316	25.11.2011	ट्रैक सूट (छात्र)	25 न0	₹520.00	₹13000.00
					वैट	₹650.00
					योग =	**₹13650.00**
2	1315	25.11.2011	बौक्सिग गलवज	4न0	₹752.00	₹3008.00
			पंचिग पैड	2न0	₹805.00	₹1610.00
			गम शीलड	20न0	₹19.00	₹380.00
			एक्डौमिनल गार्ड	5न0	₹25.00	₹125.00
			वाली बॉल नैट	1न0	₹524.00	₹524.00
			वैडीमिन्टन नैट	1न0	₹250.00	₹250.00
			वैडीमिन्टन रैकेट	4न0	₹204.00	₹816.00
			शटल कौक	4न0	₹126.00	₹504.00
			वाली बॉल लैदर	2न0	₹538.00	₹1076.00
			whistle	2न0	₹110.00	₹220.00
			चूना	10कि0ग्राम	₹12.00	₹120.00
			ट्रैकसूट (छात्रा)	25न0	₹520.00	₹13000.00
						₹21633.00
					वैट =	1082.00
					योग =	**₹22715.00**

कुल राशि ₹13,650+₹22,715=₹36,365

13 <u>रोकड बहियों का रख रखाव उचित प्रकार से न करनाः–</u>

संस्थान की रोकड बहीयों के अवलोकन पर पाया गया कि रोकड बहियों का रख रखाव उचित प्रकार से नही किया जा रहा है क्योकि बहियों का शेष निधि में जमा कुल राशियों को नहीं दर्शाता है। रोकड वही में निधियों की प्राप्त राशि व भुगतान हेतु ज़ारी चैकों की राशि की प्राप्ति दर्शाई जा रही है तथा इन राशियों को बैक में जमा करने व चैक

से भुगतान करने पर व्यय दर्शाया जा रहा है व रोकड बही का शेष शून्य दर्शाया जा रहा है जबकि बैक पास बुक के अनुसार प्रविष्टियों को लैजर खातें में लिखकर लैजर का निर्माण किया जा रहा है उपरोक्त विवरण के अनुसार रोकड बही निधि में कुल जमा राशि को नही दर्शाती है। अतः रोकड बही का रख रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाये कि रोकड बही निधि में जमा कुल राशि को दर्शाये तथा वास्तविक आय व वास्तविक व्यय को ही रोकड बही में प्रविष्टियां की जाये। इसके अतिरिक्त निधि में जमा कुल राशि के शेष को भी प्रतिमाह के अन्त में प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. **लधु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से ज़ारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्षः–** लेखाओं के रखरखाव में सुधार व निकट पर्यवक्षेण की नितान्त की आवश्यकता है।

हस्ता / –
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याःफिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)xi(xii)109 / 02–खण्ड–1 दिनांक,6.03.2014 शिमला–09.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरठीं, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला–09 को अतिशीघ्र भेजें।

2 प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा) हि0प्र0 सरकार, शिमला–171002

3 निदेशक तकनीकी शिक्षा हि0प्र0, सुन्दरनगर जिला मण्डी, हि0प्र0

4 श्री चम्बेल सिह परमार अनुभाग अधिकारी, द्वारा..................

हस्ता / –
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.